15 जुलाई 2025

**शुद्धिपत्र - भारत, मुंबई में "मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद" के लिए सीमित प्रस्ताव अनुरोध**

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने उपर्युक्त विषय पर ई-निविदा संदर्भ संख्या- E-tender Ref No. - RBI/DCM-Central Office Departments/Others/2/25-26/ET/70 आमंत्रित किया था, जिसे 2 मई 2025 को एमएसटीसी पोर्टल और भारतीय रिज़र्व बैंक (www.rbi.org.in ) वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस संबंध में 06 व 20 और 25 जून , 2025 और 07 जुलाई 2025 को क्रमश: शुद्धि पत्र जारी किया गया था।

2. इस संदर्भ में, सूचित किया जाता है कि आरएफपी दस्तावेज़ के कुछ खंडों में निम्नांकित संशोधन किया गया है:

| **क्र. सं.** | **आरएफपी दस्तावेज़ का खंड व पैरा सं** | **मौजूदा खंड** | **परिवर्तित / नया खंड** |
|---|---|---|---|
| 1. | खंड III – निविदा और मूल्यांकन प्रक्रिया - पैरा 3.4 क्र. सं. 2 कार्य अनुभव | 1. ईओआई चरण के तहत प्रस्तुत पूरे किए गए /कार्याधीन परियोजनाओं के लिए फॉर्म ई के अनुसार क्लाइंट (निविदाकर्ता का) प्रदर्शन रिपोर्ट (सीपीआर)। ऐसे मामलों में जहां सीपीआर प्रस्तुत करना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में निविदाकर की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ग्राहकों के साथ बैंक का संवाद आयोजित करे और यह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में क्लाइंट/ग्राहकों से पर्याप्त फीडबैक प्राप्त हो। परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट, बैंक द्वारा सूचित की जानी चाहिए, निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:<br>डोमेन क्षेत्र:<br>- मानकीकरण सहित प्रक्रिया स्वचालन<br>- भवन वास्तुकला<br>- सुरक्षा प्रणालियाँ - भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर | 1. ईओआई चरण के अंतर्गत प्रस्तुत पूरे किए गए /कार्याधीन परियोजनाओं के लिए फॉर्म ई के अनुसार ग्राहक (निविदाकर्ता का) निष्पादन रिपोर्ट (सीपीआर)। ऐसे मामलों में जहां सीपीआर प्रस्तुत करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में निविदाकर की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ग्राहकों के साथ बैंक का संवाद आयोजित करे और यह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में ग्राहक से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो। बैंक द्वारा सूचित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए:<br>डोमेन क्षेत्र:<br>- मानकीकरण सहित प्रक्रिया स्वचालन<br>- भवन वास्तुकला<br>- सुरक्षा प्रणालियाँ - भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर<br>- डेटा एनालिटिक्स सहित केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - डेटा एनालिटिक्स सहित केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र<br>- विप्रेषण योजना / रसद / आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली | - विप्रेषण योजना / रसद / आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली<br><u>नोट:</u><br>(i) फॉर्म ई (क्र. सं. 1 से 12) में तथ्यात्मक मदों के बारे में जानकारी परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। हालांकि, यदि कोई क्लाइंट फॉर्म ई में दिए गए प्रारूप में इन विवरणों को भरने में असमर्थ/अनिच्छुक है, तो ऐसा आवेदक द्वारा किया जा सकता है और सूचना के प्रत्येक आइटम के दस्तावेजी स्रोत को क्रॉस-रेफरेंस के साथ हमें अग्रेषित किया जा सकता है।<br>(ii) फॉर्म ई (क्र. सं. 13-15) में गुणात्मक आइटम क्लाइंट द्वारा samudrarfp@rbi.org.in को एक ईमेल के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं। जिस ईमेल आईडी से ऐसा ईमेल प्राप्त होता है, वह संगठन के आधिकारिक डोमेन नाम से संबंधित होना चाहिए। जेनेरिक डोमेन जैसे जीमेल, याहू, आदि से प्राप्त ईमेल स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रेषक का नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सहित संपर्क विवरण जो जीएम / प्रोजेक्ट मैनेजर या समकक्ष रैंक का होना चाहिए (जैसा कि पहले से ही फॉर्म ई के तहत निर्दिष्ट है) इस प्रकार प्रस्तुत की गई जानकारी के पुनः सत्यापन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। |
| 2. | खंड V - संविदा की शर्तें - पैरा 5.2 | अनुबंध की अवधि का अर्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लेकर सभी चरणों के लिए बैंक द्वारा संतुष्टि के प्रमाणीकरण तक की अवधि होगी, जो सात (7) वर्ष तक चलेगी, | अनुबंध की अवधि का अर्थ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लेकर सभी चरणों के लिए आरबीआई की संतुष्टि तक की अवधि से है, जो 8 वर्ष तक चलेगी , पहले चरण की अवधि पहले 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पहले चरण की अवधि पहले चार (4) वर्ष और तीन (3) महीने होगी। बाद के चरण पिछले चरण/चरणों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। बैंक परियोजना निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देने या किसी भी चरण/सुविधाओं की निश्चित संख्या के बाद परियोजना को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। | वर्ष और 3 महीने होगी। बाद के चरण पिछले चरण/चरणों के साथ ओवरलैप हो सकते हैं। बैंक परियोजना निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति देने या किसी भी चरण/सुविधाओं की निश्चित संख्या के बाद परियोजना को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
| 3. | 5.10 मूल्य वृद्धि | 5.10.1 चरण I का विलंबित कार्यान्वयन: चरण I के लिए अनुबंधित अवधि की अवधि के एक वर्ष बाद तक शुल्क स्थिर रहेंगे (अर्थात अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 5 वर्ष और 3 महीने तक) । इस अवधि (5 वर्ष और 3 महीने) से परे देय भुगतानों के लिए, वृद्धि पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब बैंक संतुष्ट हो कि देरी परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक के कारण नहीं है....<br><br>5.10.2 चरण I अनुबंध अवधि के भीतर शुरू होने वाले भविष्य के चरण: चरण 1 की अनुबंध अवधि (यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 4 साल और 3 महीने के भीतर) के भीतर शुरू होने वाले किसी भी भविष्य के चरण के कार्यान्वयन के दौरान, चरण I या 5 साल और 3 महीने के लिए RBI की संतुष्टि के बाद आने वाले इन चरणों के लिए सभी आनुपातिक भुगतान, जो भी बाद में हो, चरण I या 5 साल और 3 महीने के लिए RBI की संतुष्टि | 5.10.1 चरण I का विलंबित कार्यान्वयन: चरण I के लिए निष्पादन अवधि (अर्थात परिचालन तक) की अवधि के एक वर्ष बाद तक शुल्क स्थिर रहेंगे (अर्थात अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 5 वर्ष और 3 महीने तक) । इस अवधि (5 वर्ष और 3 महीने) से परे देय भुगतानों के लिए, वृद्धि पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब बैंक संतुष्ट हो कि देरी परामर्शदाता-सह-परियोजना प्रबंधक के कारण नहीं है....<br><br>5.10.2 चरण I अनुबंध अवधि के भीतर शुरू होने वाले भविष्य के चरण: चरण 1 की अनुबंध अवधि (यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 साल और 3 महीने के भीतर) के भीतर शुरू होने वाले किसी भी भविष्य के चरण के कार्यान्वयन के दौरान, चरण I या 5 साल और 3 महीने के लिए RBI की संतुष्टि के बाद आने वाले इन चरणों के लिए सभी आनुपातिक भुगतान, जो भी बाद में हो, चरण I या 5 साल और 3 महीने के लिए RBI की संतुष्टि के बाद CPI में अनुक्रमित किए जाएंगे, जो भी बाद में हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | के बाद CPI में अनुक्रमित किए जाएंगे, जो भी बाद में हो।<br><br>5.10.3 चरण । अनुबंध अवधि के बाद शुरू होने वाले भविष्य के चरण: अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 4 साल और 3 महीने से अधिक की निष्पादन अवधि के लिए, जैसा कि पैरा 5.10.2 में बताया गया है, बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। | 5.10.3 चरण । अनुबंध अवधि के बाद शुरू होने वाले भविष्य के चरण: अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 5 साल और 3 महीने से अधिक की निष्पादन अवधि के लिए, जैसा कि पैरा 5.10.2 में बताया गया है, बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। |

आरएफपी दस्तावेज़ के अन्य सभी प्रावधान तथा नियम व शर्तें यथावत हैं।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग